

(रा.स्व. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सिवाना सिवा बालोतरा
(राजस्थान)

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम बल्लो कावाडा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 196 में मेरा/हमारे नाम रमजुखा पुत्र इहमद खान

दर्ज हैं जो अशुद्ध हैं, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम रमजान खान पुत्र इहमद खान हैं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।

दिनांक :-

रमजान खान
हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

प्रार्थी के आधार कार्ड के अनुसार रमजुखा पुत्र इहमद खान के स्थान पर रमजान खान पुत्र इहमद खान शुद्ध किया जाना उचित है।

11.10.25
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gcms 2025/616

आदेश

तहसीलदार समदडी
तहसीलदार - समदडी
दिनांक 17/10/25

क्रमांक / ग.अ.क्र. / 1696

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम बल्लो कावाडा की जमाबन्दी संवत् 2077-80 के खाता संख्या 196 में रमजुखा पुत्र इहमद खान

के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

रमजान खान पुत्र इहमद खान
की जाती हैं तदनुसार सिवाना सिवा बालोतरा तहसील की कार्यवाही की जावे ।



कामों की स्वीकृति प्रदान
उपखण्ड अधिकारी सिवाणी
सिवाना, बालोतरा